Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में सरपंच 15 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *24 मार्च, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर प्रथम इकाई द्वारा आज चाकसू, जयपुर में कार्यवाही करते हुये मुकेश कुमार बलाई सरपंच ग्राम पंचायत छान्देल कलां, तहसील चाकसू, जिला जयपुर को परिवादी से 15 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि बी.पी.एल. श्रेणी को आवासीय पट्टा जारी करने की एवज में मुकेश कुमार बलाई सरपंच ग्राम पंचायत छान्देल कलां, तहसील चाकसू, जिला जयपुर द्वारा **1 लाख रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर नगर प्रथम इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आलोक चन्द्र शर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री नीरज गुरनानी** एवं उनकी टीम द्वारा चाकसू जयपुर ट्रेप कार्यवाही करते हुये मुकेश कुमार बलाई सरपंच ग्राम पंचायत छान्देल कलां, तहसील चाकसू, जिला जयपुर को परिवादी से **15 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी सरपंच द्वारा परिवादी से पहले ही **70 हजार रुपये** रिश्वत राशि के रूप में वसूल किये जा चुके थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।